

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासना।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2021

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-275/रा०उ०शि०प०/०१/२०२१, दिनांक ०२.०७.२०२१ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 45,75,300/- (रूपये पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- नियमित रूप से अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
  7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अबमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
  9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
  10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
  11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
  12. इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएँगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएँगे।
  13. इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

**संलग्नक: यथोपरि**

भवदीय,  
सर्वेश कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
सर्वेश कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-80/2021/1543(1) /सत्तर-4-2021-4(28)/2021 दिनांक-10/08/2021 का संलग्नक:-

क्र०	प्रमुख शोधकर्ता एवं विभाग	विषय	संस्तुत की गयी धनराशि का मदवार विवरण	
1	2	3	4	5
1	डॉ० राम मनोहर लोहिया	अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	मद	धनराशि
1.1	Dr. Sindhu Singh (Department of Physics & Electronics)	Synthesis of doped (lead free) Ba TiO3 by Solid State Ceramic Route and Characterization for Capacitor Applications	उपकरण	250000
			आकस्मिक व्यय	10000
			उपभोज्य	70000
			ओवर हेड चार्ज	25000
			योग	355000
1.2	Dr. Neelam Yadav of (Department of Biochemistry)	Investigation and Evaluation of Novel Drug Based on Polyherbal Extracts for Liver Cancer	उपकरण	250000
			आकस्मिक व्यय	5000
			उपभोज्य	90000
			ओवर हेड चार्ज	20000
			योग	365000
1.3	Prof. Neelam Pathak of (Department of Biochemistry)	Biochemical and Molecular characterization of Ziziphus species and elucidation of bioactive potential	उपकरण	400000
			प्रोजेक्ट असिस्टेंट	180000
			आकस्मिक व्यय	17500
			उपभोज्य	100000
			फील्डवर्क/यात्रा	5000
			ओवर हेड चार्ज	82500
			योग	785000
1.4	Dr. Geetika Srivastava (Department of Physics and Electronics)	Artificial Intelligence Based EEG Monitoring system for Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of Japanese Encephalitis	उपकरण	465000
			यात्रा/फील्ड वर्क	2500
			ओवर हेड चार्ज	20000
			योग	487500
2	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी			
2.1	Dr. Mukesh Kumar Panth (Department of Psychology)	Exploring the need of psychological counseling in youth in relation to mental health	उपकरण	210000
			कर्मचारी सेवाओं के लिए	48000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	3000
			ओवर हेड चार्ज	50000
			योग	318500
3	प्र० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज			
3.1	Dr. Vivek Kumar Singh (Department of Geography and Centre for Social Work)	Analysis of Factors Influencing the Adoption of Agricultural Innovations in Azamgarh District	-	200000
3.2	Prof. Raj Kumar Gupta (Department of Ancient History, Culture and Archaeology)	उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य एवं कला में सामाजिक आयाम (8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ई० तक)	कर्मचारी सेवाओं के लिए	15000
			आकस्मिकता	8500
			उपभोज्य सामग्री	15000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	63500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.3	Dr. Archana Chandra (Department of Commerce)	The Social Symbolism of Pradhan Mantri Ujjwala Yojna: Informing policy and management	उपकरण	125000
			कर्मचारी सेवाओं के लिए	35000
			आकस्मिकता	8500
			उपभोज्य सामग्री	17000
			यात्रा/फील्ड वर्क	7500
			योग	193000
4	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
4.1	Prof. Beer Pal Singh (Department of Physics)	Development of Toxic Gas Sensors using Biosynthesized Semiconducting Metal Oxide Nanostructures	उपकरण	130000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10300
			ओवर हेड चार्ज	33000
			योग	338300
4.2	Prof. Vijai Malik (Department of Botany)	Studies on Graminoids in Western Uttar Pradesh	उपकरण	50000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा/फील्ड वर्क	75000
			ओवर हेड चार्ज	40000
			योग	215000
4.3	Dr. Ashok Kumar (Department of Botany)	Enhancement of heat tolerance in food legume crop (Chick pea) Rhizobium engineering	उपकरण	100000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	4000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			ओवर हेड चार्ज	40000
			योग	219000
5	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
5.1	Prof. amita Kanaujia (Department of Zoology)	Annotated Coloured Checklist of Raptors of Uttar Pradesh	जूनियर रिसर्च फेलो	216000
			यात्रा/फील्ड वर्क	75000
			प्रशासनिक एवं सामर्थक व्यय	30000
			पुस्तकें	12000
			ओवर हेड चार्ज	150000
			योग	483000
5.2	Dr. Monisha Banerjee (Department of Botany)	Anticancerous potential of Cynodon Dactylon (doob) in cervical cancer	मैन पावर	300000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			ओवर हेड चार्ज	27500
			योग	552500
			संपूर्ण योग	4575300

सर्वेश कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
1. डॉ० राम मनोहर लोहिया अविध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा०उ०शि०प०/०१/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा०उ०शि०प०/०२/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरीत सलग विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 1,09,75,832/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्र-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं प्रगति रिपोर्ट शासन तथा उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanodesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		computational approaches													
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ															
14	Dr. Ramakant (Department of Mathematics)	Isolation and Characterization of Phormidium strains from polluted water bodies of Meerut for harnessing of valued added products and nutrients Mining Potential	<table border="1"> <tr><td>मैन पावर</td><td>60000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>10000</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>45000</td></tr> <tr><td>यात्रा/फील्ड वर्क</td><td>15000</td></tr> <tr><td>ओवर हेड चार्ज</td><td>18000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>148000</td></tr> </table>	मैन पावर	60000	आकस्मिकता	10000	उपभोज्य सामग्री	45000	यात्रा/फील्ड वर्क	15000	ओवर हेड चार्ज	18000	योग	148000
मैन पावर	60000														
आकस्मिकता	10000														
उपभोज्य सामग्री	45000														
यात्रा/फील्ड वर्क	15000														
ओवर हेड चार्ज	18000														
योग	148000														
15	Prof. Neetu Jain Gupta (Department of Zoology)	Circadian Distruption in Food and Sleep Rhythms in Rural and Urban School Studies	<table border="1"> <tr><td>मैन पावर</td><td>96000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>12500</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>25000</td></tr> <tr><td>ओवर हेड चार्ज</td><td>14600</td></tr> <tr><td>योग</td><td>148100</td></tr> </table>	मैन पावर	96000	आकस्मिकता	12500	उपभोज्य सामग्री	25000	ओवर हेड चार्ज	14600	योग	148100		
मैन पावर	96000														
आकस्मिकता	12500														
उपभोज्य सामग्री	25000														
ओवर हेड चार्ज	14600														
योग	148100														
16	Prof. Sanjay Kumar Bhardwaj (Department of Zoology)	Light at Night Effect on Learning and Memory in Diurnal Zebra Finches: A behavioral Approach	<table border="1"> <tr><td>मैन पावर</td><td>96000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>5000</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>50000</td></tr> <tr><td>यात्रा/फील्ड वर्क</td><td>5000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>156000</td></tr> </table>	मैन पावर	96000	आकस्मिकता	5000	उपभोज्य सामग्री	50000	यात्रा/फील्ड वर्क	5000	योग	156000		
मैन पावर	96000														
आकस्मिकता	5000														
उपभोज्य सामग्री	50000														
यात्रा/फील्ड वर्क	5000														
योग	156000														
	Prof. Bindu Sharma (Department of Zoology)	Genomic Analysis of Zoonotic and Non Zoonotic Helminth Parasites From Mice (Mus Musculus) and Rat (Rattus norvegicus and Rattus rattus) in Meerut Region to identify potential drug compounds	<table border="1"> <tr><td>मैन पावर</td><td>60000 ✓</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>32500</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>25000</td></tr> <tr><td>यात्रा/फील्ड वर्क</td><td>2500</td></tr> <tr><td>ओवर हेड चार्ज</td><td>12000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>132000</td></tr> </table>	मैन पावर	60000 ✓	आकस्मिकता	32500	उपभोज्य सामग्री	25000	यात्रा/फील्ड वर्क	2500	ओवर हेड चार्ज	12000	योग	132000
मैन पावर	60000 ✓														
आकस्मिकता	32500														
उपभोज्य सामग्री	25000														
यात्रा/फील्ड वर्क	2500														
ओवर हेड चार्ज	12000														
योग	132000														
18	Dr. Dushyant Kumar Chauhan (Department of Zoology)	Immunomodulatory Studies of Nanoparticles for the Delivery of R23 Strain of Newcastle Disease in Chicks	<table border="1"> <tr><td>मैन पावर</td><td>100000</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>10000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>15000</td></tr> <tr><td>यात्रा/फील्ड वर्क</td><td>2500</td></tr> <tr><td>ओवर हेड चार्ज</td><td>15000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>142500</td></tr> </table>	मैन पावर	100000	उपभोज्य सामग्री	10000	आकस्मिकता	15000	यात्रा/फील्ड वर्क	2500	ओवर हेड चार्ज	15000	योग	142500
मैन पावर	100000														
उपभोज्य सामग्री	10000														
आकस्मिकता	15000														
यात्रा/फील्ड वर्क	2500														
ओवर हेड चार्ज	15000														
योग	142500														
19	Dr. Prof. Beer Pal Singh (Department of Physics)	Development of efficient electrode materials for supercapacitor application	<table border="1"> <tr><td>उपकरण</td><td>300000</td></tr> <tr><td>मैन पावर</td><td>150000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>2000</td></tr> <tr><td>यात्रा/फील्ड वर्क</td><td>10000</td></tr> <tr><td>ओवर हेड चार्ज</td><td>5000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>467000</td></tr> </table>	उपकरण	300000	मैन पावर	150000	आकस्मिकता	2000	यात्रा/फील्ड वर्क	10000	ओवर हेड चार्ज	5000	योग	467000
उपकरण	300000														
मैन पावर	150000														
आकस्मिकता	2000														
यात्रा/फील्ड वर्क	10000														
ओवर हेड चार्ज	5000														
योग	467000														
20	Prof. Sanjeev Kumar Sharma (Department of Physics)	Chemosensor study of ZnO: Ag nanocomposite for the detection of Heavy metals from edible products.	<table border="1"> <tr><td>उपकरण</td><td>150000</td></tr> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>50000</td></tr> <tr><td>यात्रा</td><td>5000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>25000</td></tr> <tr><td>इंस्टीट्यूट ओवर हेड</td><td>26000</td></tr> <tr><td>योग</td><td>256000</td></tr> </table>	उपकरण	150000	उपभोज्य सामग्री	50000	यात्रा	5000	आकस्मिकता	25000	इंस्टीट्यूट ओवर हेड	26000	योग	256000
उपकरण	150000														
उपभोज्य सामग्री	50000														
यात्रा	5000														
आकस्मिकता	25000														
इंस्टीट्यूट ओवर हेड	26000														
योग	256000														
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली															
21	Dr. Abha Trivedi (Department of Animal Science)	Biomonitoring and Genotoxicological Studies of Heavy Metal Components of brass alloy in River Ramganga	<table border="1"> <tr><td>उपभोज्य सामग्री</td><td>150000</td></tr> <tr><td>आकस्मिकता</td><td>10000</td></tr> <tr><td>मैटिनेस</td><td>20000</td></tr> <tr><td>बुक्स एण्ड जर्नल्स</td><td>20000</td></tr> </table>	उपभोज्य सामग्री	150000	आकस्मिकता	10000	मैटिनेस	20000	बुक्स एण्ड जर्नल्स	20000				
उपभोज्य सामग्री	150000														
आकस्मिकता	10000														
मैटिनेस	20000														
बुक्स एण्ड जर्नल्स	20000														

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

1. डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठा।
3. उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (एज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
7. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
8. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 21

विषय- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुस्वीकृति।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-141/रा०उ०शि०प०/०१, दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत संलग्न विवरण अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 1,58,62,700/- (रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख बासठ हजार मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कर शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित उपलब्ध कराया जायेगा।



5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को नियमित रूप से अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उक्त प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
  6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वह अपने स्रोतों से किया जायेगा।
  7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
  9. इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा अनुमन्य नहीं होगा।
  10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
  11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्हीं मदों में उतनी ही धनराशियां व्यय हेतु अनुमन्य होंगी, जो शासनादेश संख्या-1075/सत्तर-99/46(21)/99, दिनांक 29.04.2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गयी है। इस उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
  12. इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या 1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएँगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएँगे।
  13. इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
  14. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  15. विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत परियोजना प्रस्ताव मूलरूप में संलग्न है।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधिलेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-20: 231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।
- संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
  
 (योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)  
 विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-५३/२०२१/६०६/सत्तर-४-२०२१-४(५६)/२०२० दिनांक ३०/०३/२०२१ का संलग्नक

क्र० सं०	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	प्रमुख शोधकर्ता का नाम	विषय	संकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof. Manu Pratap Singh	Study and implementation of machine learning techniques for pattern recognition of biometrics and IRIS features	साइंस	500000
2	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof.(Dr.) Ajay Taneja	Characterization of fine Particulate matter and settled dust in schools of Agra and its health Implications	साइंस	500000
3	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof.(Dr.) B. P. Singh	Preliminary feasibility analysis of solar PV system in the campus of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	साइंस	277000
4	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Prof. sanjeev kumar	Mathematical modeling of Tumor Growth and its Treatment	साइंस	290000
5	डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	Dr. Gautam Lalbihari Jaiswar	Synthesis, characterizations and Application of modified Cellulose Nan crystals composites from Agricultural wastes	साइंस	300000
6	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Dr. Mukesh Kumar Sharma	mathematical Aspect of meditative Fuzz Logic to health management system	साइंस	300000
7	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Prof. Mridul Kumar Gupta	Security challenges and solutions in Smart Cities: A cryptographic Approach	साइंस	275000
8	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	Prof.(Dr.) Shiv Raj Singh	गणितीय मॉडलिंग (mathematical modelling of inventory with Environmental concern)	साइंस	280000
9	उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	Dr. Shruti	Statistical and Epidemiological modeling, Pandemic Dyamics and Epiodemic Prediction of COVID-19	साइंस	264000

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
2. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।
4. डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 09 अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा0उ0शि0प0/4/10 II, दिनांक 28.06.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्नक विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू0 22.25 लाख (रूपये बाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र0	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
1.1	Dr. Alka Misra (Department of Mathematics & Astronomy)	Investigation of Interstellar Reactions of Prebiotic Molecules vital for the Formation and Evolution of Extra-terrestrial Intelligence.	उपकरण शोध सहायक आकस्मिक व्यय यात्रा व्यय योग	100000 200000 40000 10000 350000
2	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Praveen Kumar Rai (Department of Geography)	Remote Sensing Based Landslide Risk Assessment along Mussoorie-Dhanaulti Region of Utrakhand : An approach towards Building Climate and Disaster Resilience in Communities	उपकरण यात्रा व्यय आकस्मिक व्यय/उपभोज्य वस्तुएं योग	350000 50000 50000 450000
3	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
3.1	Dr. Yeshvandra Verma (Department of Toxicology)	Toxicity risk assessment of silver nanoparticles using bioluminescent bacterial biosensor	उपकरण व्यय योग्य /उपभोज्य वस्तुएं योग	200000 300000 500000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3.2	Prof. Vighnesh Kumar (Department of History)	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1857 के क्रान्तीवीरों से सम्बद्ध मौखिक, ऐतिहासिक एवं पुरास्मारकीय विरासत का भौतिक-सर्वेक्षण, साक्ष्य-संकलन, पाठ-सम्पादन, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रकाशन	उपकरण	100000
			रिसर्च फेलो	200000
			यात्रा व्यय	50000
			आकस्मिक व्यय	50000
			योग	400000
4	डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा			
4.1	Prof. Anil Kumar Verma (Department of History & Culture)	"The Making of Modern Agra (1803 AD-1857AD)	उपकरण	200000
			रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिक व्यय	50000
			यात्रा व्यय	25000
			विशेषज्ञों को मानदेय	50000
योग	525000			
			कुल योग	2225000

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँ उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनेल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (12) इस अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,  
अब्दुल समद  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
सर्वेश कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अब्दुल समद,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

**विषय-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र संख्या-363/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 26.08.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू० 79,67,500/- (रूपये उन्नासी लाख सडसठ हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र०	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया			
1.1	Dr. Anil Kumar (Department of Sociology)	Empowering women from Weaker Sections of Ballia District through Vocational Skills	सैलरीज/हॉनरेरियम	150000
			उपकरण	200000
			टी०ए०/डी०ए० फॉर विजिटिंग फैकल्टी	150000
			कम्यूनिकेशन एवं स्टेशनरी	50000
			आकस्मिकता	25000
			<b>योग</b>	<b>575000</b>
2	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Sanjay Singh (Department of Sociology)	Status of the Forest Communities in the State of Uttar Pradesh (A sample of three forest divisions, one each from eastern, central and western Uttar Pradesh will be selected for the present Study)	फील्ड वर्क स्टडी	210000
			फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	270000
			सेमिनार	110000
			<b>योग</b>	<b>590000</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
3.1	Dr. Tanu Dang (Department of Journalism and Communication)	Centre for Rural Communication and Development (CRCD)	रिसर्च असिस्टेंट	200000
			टेक्निकल असिस्टेंट	150000
			यात्रा	40000
			डाटा प्रोसेसिंग	40000
			स्टेशनरी एवं प्रिन्टिंग	50000
			बुक्स एवं जर्नल्स	40000
			आकस्मिकता	25000
			अन्य हियरिंग सर्विस, साफ्टवेयर खरीद, टेक्निकल ट्रेनिंग	50000
	<b>योग</b>	<b>595000</b>		
3.2	Dr. Neeraj Shukla (Department of Commerce)	Entrepreneurship and Skill Development Programs with special Reference to Youth in Uttar Pradesh	रिसर्च स्टाफ	200000
			इन्टरप्रिन्योरशिप अवैयरेस प्रोग्राम	50000
			फील्डवर्क	50000
			उपकरण एवं पब्लिकेशन	50000
			आकस्मिकता	25000
			<b>योग</b>	<b>375000</b>
3.3	Prof. (Dr.) Syed Haider Ali (Department of Business Administration)	Centre for Innovative Studies	मैन पावर	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			फील्ड वर्क	25000
			<b>योग</b>	<b>300000</b>
4	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
4.1	Dr. Shradha Chandra (Department of Public Administration)	Role of PHC/CHC in Women Healthcare (A Comparative Study of Hilly Plain Areas)	लेक्चरर सेसन	150000
			फील्ड वर्क	100000
			डिवाइस, साफ्टवेयर एण्ड आईटी	100000
			पब्लिकेश ऑफ रिपोर्ट्स, डाटाबेस, पेपर्स आदि	50000
			बुक्स एण्ड पर्चेज	50000
			स्टेशनरी एण्ड आकस्मिकता	50000
			वर्कशाप	50000
			<b>योग</b>	<b>550000</b>
4.2	Dr. Suchit Swaroop (Department of Zoology)	Effect of Cigarette Smoking on Oxidative Stress and Lung Health in COVID-19 era.	उपभोज्य सामग्री	300000
			आकस्मिकता	50000
			सेमिनार/वर्कशाप	100000
			मेन्टीनेंस	100000
			<b>योग</b>	<b>550000</b>
4.3	Dr. M. Serajuddin (Department of Zoology)	Development and Standarization of Induced Breeding Techniques for Seed Production of Commercially Important Freshwater fish, Channa Punctatus	शोध सहायक	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	25000
			बुनियादी आवश्यकता: मिनी हेचरी, प्लास्टिक पूल, एक्वेरिया आदि	150000
			<b>योग</b>	<b>380000</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4.4	Dr. Geetanjali Mishra (Department of Zoology)	Ecofriendly Agriculture by Augmentation of Ladybird Beetles	अनावर्ती अनुदान	300000
			शोध सहायक	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा	12500
			<b>योग</b>	<b>562500</b>
4.5	Dr. Jyotsna Singh (Department of Physics)	Renewable Energy (solar PV Water Pumping System Testing Lab in Uttar Pradesh)	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			<b>योग</b>	<b>450000</b>
4.6	Prof. N.K. Pandey (Department of Physics)	Fabrication and characterization of P-n heterojunction composites and their enhanced gas sensing properties	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			<b>योग</b>	<b>450000</b>
4.7	Dr. Rajesh Kumar Tewari (Department of Botany)	Improvement of functional iron status in Cereals through biochemical interventions	उपकरण	100000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			<b>योग</b>	<b>400000</b>
4.8	Dr. Kusum Yadav (Department of Biochemistry)	Use of Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) for nutraceutical enhancement in pearl millet (Pennisatum glaucum (L.) R. Br.)	उपकरण	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			जूनियर रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा	25000
			<b>योग</b>	<b>425000</b>
4.9	Dr. Sangeeta Sahu (Department of Business administration)	Research and Management of Human Resource in Organized and Unorganized Sector	उपकरण	100000
			उपभोज्य सामग्री	20000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा	50000
			हियरिंग सर्विस	20000
			आकस्मिकता	25000
			<b>योग</b>	<b>415000</b>
4.10	Dr. Ashok Kumar Singh (Department of Chemistry)	Tareted Syntheses of Novel Transition Metal Complexes as Myriad Array of Metal-Based Drugs	कम्प्यूटेशनल सर्वर	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			मैन पावर	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	50000
			<b>योग</b>	<b>425000</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



5	<b>प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज</b>			
5.1	Prof. Vivek Kumar Singh (Department of Centre for Social work)	Community Development and livelihood in Prayagraj Region	रिसर्च एसोसिएट हियरिंग सर्विस फील्ड वर्क, ट्रैवल एण्ड अलावन्सेज डाटा प्रोसेसिंग आकस्मिकता उपकरण बुक्स एण्ड जर्नल्स योग	100000 50000 25000 50000 25000 150000 50000 450000
6	<b>चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ</b>			
6.1	Dr. Mukesh Kumar Sharma (Department of Mathematics)	Fuzzy/Intuitionistic Transportation and Transshipments in context of Computational Artificial Intelligence	उपभोज्य सामग्री मैन पावर आकस्मिकता मेन्टिनेंस यात्रा योग	50000 300000 25000 50000 50000 475000
<b>कुल योग</b>				<b>7967500</b>

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
  - (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
  - (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
  - (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - (13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
अब्दुल समद  
विशेष सचिव।

#### संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(एस0पी0 मिश्र)  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।